<u>न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़</u>

पीठासीन अधिकारी— प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या— 4/2022 प्रार्थना पत्र/251ए. दिनांकः— 04.09.2025

अनवान

1— उंकार पिता नाराण ब्राहमण नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
2— वेणीराम पिता प्रेमचंद ब्राहमण नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
3— लछमण पिता उदयलाल ब्राहमण नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
4— शंकर पिता नाराण ब्राहमण नि. मानपुरा तह. बडीसादडी

—प्रार्थीगण

।। बनाम ।।

1— प्रभुलाल पिता देवकिशन सुथार नि. कहारा तह. बडीसादडी
2— कमललाल पिता गोटू सुथार नि. कहारा तह. बडीसादडी
3— नारायण पिता गोटू सुथार नि. कहारा तह. बडीसादडी
4— बंशीलाल पिता गोटू सुथार नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
5— जमनाबाई पत्नी उंकार लाल सुथार नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
6— ज्योत्सना बाई पिता उंकार लाल सुथार नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
7— नन्दलाल पिता हरलाल सुथार नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
8— पन्नालाल पिता हरलाल सुथार नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
9— प्रेमचंद पिता हरलाल सुथार नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
10— बगदीराम पिता हरलाल सुथार नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
11— बंशीलाल पिता देवकिशन सुथार नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
12— भगवानलाल पिता हरलाल सुथार नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
13— शम्भुलाल पिता मथरालाल सुथार नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
14— मिठूलाल पिता मोहनलाल सुथार नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
15— पुष्कर लाल पिता मोहनलाल सुथार नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
16— वरजूबाई पत्नी मोहनलाल सुथार नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
17— रूपलाल पिता हरलाल सुथार नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
18— रामेश्वर पिता उंकारलाल सुथार नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
19— शंकरलाल पिता देवकिशन सुथार नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
20— सुशीला पिता उंकार सुथार नि. मानपुरा तह. बडीसादडी
21— हीरालाल पिता मांगीलाल जोशी नि. मानपुरा तह. बडीसादडी

—विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,</u>

उपस्थित— श्री जे.पी. वैष्णव वकील प्रार्थीगण
श्री विजय मोगरा [illegible] क्षी नम्बर 2 से 4 व 8, 11, 12, 14, 17, 21

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:25:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जोडी गई नवीन धारा 251–ए के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि–

1. प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा मानपुरा पटवार हल्का महूडा में खाता संख्या 6 की आराजी नं. 292 रकबा 0.0600 है. लगानी 0.42 रूपया में स्थित है।
2. यह कि विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की खाता सं. 66 की आराजी नं. 291 रकबा 0.0500 गे.मु.चाह मौजा मानपुरा पटवार हल्का महुडा तहसील बडीसादडी में स्थित है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के खातेदारी की खाता सं. 91 की आराजी नं. 170 रकबा 0.4500 है. गे.मु. रास्ता गांव मानपुरा तहसील बडीसादडी में स्थित है जो एक सार्वजनिक रास्ता होकर सभी लोगों के उपयोग उपभोग में चला आ रहा है।
3. यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी नं. 292 पर पहुंचने का एकमात्र रास्ता विपक्षीगण की आराजी नं. 291 के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, यह रास्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के रास्ते से दक्षिण दिशा में आराजी नं. 291 के पूर्वी तरफ होकर प्रार्थीगण की आराजी नं. 292 पर पहुंचता है। इस रास्ते को प्रार्थीगण की ओर से पेश किये जाने वाले नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित कर दर्शाया जा रहा है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपनी आराजी पर आते जाते रहते हैं, हल बैलगाडी लाते ले जाते है तथा फसल भी काटकर इसी रास्ते से होकर मुख्य सार्वजनिक रास्ते पर जाते है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास उक्त आराजी पर पहुंचने का निकटतम अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ते का प्रार्थीगण पिछले करीब 50 वर्षों से निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।
4. यह कि अभी 5 रोज पूर्व प्रार्थीगण अपनी आराजी की हकाई जुताई करने के लिए अपनी आराजी नं. 292 पर ट्रेक्टर लेकर जा रहे थे तो विपक्षीगण ने उक्त रास्ते से जाने से मना कर दिया क्योंकि उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा रास्ते में अवरोध पैदा कर पत्थर गाढने की धमकी दी है तब से वाद कारण पैदा होकर निरन्तर जारी है।
5. यह कि यदि विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के उपरोक्त चरण सं. 3 में बताये गये रास्ते को अवरूद्व कर दिया तो प्रार्थीगण अपनी आराजी सं. 292 पर उसकी हकाई जुताई करने के लिए नहीं जा पायेंगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा अपनी आराजी के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेंगे इसलिए प्रार्थीगण को विपक्षीगण की आराजी नं. 291 के उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख्य मार्ग से प्रार्थीगण की आराजी पर कदीम से जा रहे रास्ते की घोषणा करायी जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकित कराया जाना न्याय हित में आवश्यक है।
6. यह कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए 12 फिट चौडा तथा लगभग 100 फिट लम्बाई में रास्ते की जरूरत है उक्त रास्ता विपक्षीगण की आराजी नं. 291 के उत्तर पूर्व दिशा की भूमि से दिलाया जाना आवश्यक है इस हेतु प्रार्थीगण विपक्षीगण को रास्ते की भूमि का राजकीय मूल्य चुकाने को तत्पर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:23:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

अतः श्रीमान से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजी पर विपक्षीगण की आराजी नम्बर 291 के उत्तर पूर्वी दिशा से होकर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 292 पर स्थित 12 फीट चौड़ाई का रास्ता जो कदीमाना है उसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज फरमाया जावे।

विपक्षी नं. 2, 3, 4, 8, 11, 12, 14, 17, 21 की ओर से वकील विपक्षीगण ने निम्नानुसार जवाब पेश किया ।

1. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम नं. 1 में वर्णित आराजी नं. 292 रकबा 0.0600 हैक्टर मौजा मानपुरा तहसील बडीसादडी में स्थित होना स्वीकार है किन्तु यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रार्थीगण के अलावा 6 अन्य खातेदार कलम पुत्र उदयराम, डालचन्द पुत्र प्रेमचन्द, बालरकु पत्नी मोहनलाल, रतनलाल पुत्र नाराण, रेखाबाई पत्नी उदयराम, विजयलाल पुत्र मोहनलाल सभी ब्राह्मण निवासी मानपुरा भी सहखातेदार है तथा इनके संयुक्त खातेदारी में आराजी नंबर 292 के अलावा 27 खसरा वर्णित है। कुल रकबा 8.1500 हैक्टर है सिबूत में नकल जमाबंदी पेश है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम नं. 2 में वर्णित तथ्य स्वीकार है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम नं. 3 व 4 में वर्णित तथ्य प्रार्थीगण ने गलम तथ्यों के आधार पर बताया है जो स्वीकार नहीं क्योंकि खाता संख्या 6 में वर्णित कुल रकबा 8. 1500 हैक्टर जमीन है जिसमें 10 खातेदार है व संयुक्त खातेदारी की है। आराजी नंबर 292 अन्य आराजी का अन्तिम छोर है तथा समस्त जमीन खाता सं. 6 में वर्णित आराजी पर आने का रास्ता विपक्षीगण की आराजी चाह नंबर 291 से होकर नहीं आता है बल्कि संयुक्त खातेदारी की अन्य जमीन में से होकर प्रार्थीगण आते जाते है लेकिन सुविधा की दृष्टि से मात्र चार सह काश्तकार ने मिलकर यह प्रार्थना पत्र रास्ता प्राप्त करने के लिये पेश किया है जो गलत होने से स्वीकार नहीं क्योंकि 19 व्यक्ति है तथा इनके कुऐं का फेरा है जो आराजी नंबर 291 मात्र 5 बिस्वा जमीन है जिसका उपयोग उपभोग 19 सह खातेदार द्वारा करने से इनकी जमीन में से रास्ता निकाला जाना न्यायोचित नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण अन्य आराजी में से होकर आते जाते है। सह खातेदार द्वारा रूकावट डालने पर उनके विरूद्व प्रार्थीगण कार्यवाही नहीं विपक्षीगण से सुविधाजनक रास्ता प्राप्त करने का प्रयास हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज योग्य है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम नं.5 में वर्णित तथ्य गलत होने से स्वीकार नहीं। प्रार्थीगण ने अपनी अन्य आराजी जो आराजी नंबर 292 से लगी हुई है उस तथ्य को छिपाया है तथा आराजी नंवर 292 मात्र 6 बिस्वा है जो बारानी है अर्थात् पड़त व काश्त नहीं होती है। उक्त जमीन पर 50 वर्षो से आने जाने का तथ्य गलत है। चूंकि सार्वजनिक रास्ता पास आ जाने से सुविधाजनक रास्ते बाबत् यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो निराधार है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम नं. 6 में वर्णित [illegible]त होने से स्वीकार नहीं। विपक्षीगण 19 सह खातेदार है जिनका [illegible] सामान को रखने लाने व ले जाने हेतु उपयोग में आता है। [illegible] रास्ता विपक्षीगण की आराजी में से देने का कोई औचित्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:25:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

अतः विपक्षीगण द्वारा जवाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर होने से खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र से तलव किया गया। विपक्षी नम्बर 2 से 4 व 8, 11, 12, 14, 17, 21 की ओर श्री विजय मोगरा अधिवक्ता ने पावर के साथ जवाब पेश किया। शेष विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

तहसीलदार बडीसादडी से दिनांक 22.03.2023 को रास्ते की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई । जिसके अनुसार ग्राम मानपुरा (महुड़ा) की आराजी संख्या 292 रकबा 0.06 हैक्ट. उंकारलाल 1/9 रतनलाल 1/9 शंकरलाल 1/9 शंकरलाल 1/9 पुत्र नाराण, डालचंद 1/6 वेणीराम 1/6 पुत्र प्रेमचंद, कमललाल 1/12 लक्ष्मण 1/12 पुत्र उदयराम, रेवाबाई पत्नी उदयराम 1/12 विजयलाल पुत्र मोहनलाल 1/24 वरजु पत्नी मोहनलाल 1/24 निवासी मानपुरा के संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी में जाने का रास्ता कोई रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। उक्त आराजी में जाने हेतु आराजी संख्या 291 रकबा 0.05 हैक्ट. जो कि किस्म गे.मु. आचा है में से होकर रास्ता चाहा गया है। जिसकी लम्बाई 20 मीटर चौड़ाई 4 मीटर कुल 80 वर्गमीटर है जो नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता न्यूनतम दूरी का होकर अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है। आराजी संख्या 291 रकबा 0.05 हैक्ट. कंचनबाई कलाबाई नारायणीबाई पुत्री मोहनलाल पुष्करलाल मिठूलाल पुत्र मोहनलाल वरजूबाई पत्नी मोहनलाल 6/168 गोटू पुत्र मोती 1/4 सुथार हिरालाल पुत्र मांगीलाल 1/4 ब्राहमण जमनाबाई पत्नी ज्योत्सनाबाई, सुशीलाबाई पुत्री उंकारलाल रामेश्वरलाल पुत्र उंकारलाल 4/112 प्रभुलाल 9/56 बंशीलाल 9/56 मथरालाल 1/28 शंकरलाल 1/28 पुत्र देवकिशन, शोबु पत्नी देवकिशन 1/28 जाति सुथार के नाम दर्ज है। वर्तमान में ग्राम मानपुरा की डी.एल.सी. दर 166665 रू प्रति बीघा है

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं कमीशनरी रिपोर्ट का अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 291 पर पहुंच मार्ग हेतु रिर्कोडेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है तथा इस आराजीयात पर पहुंचने हेतु विपक्षीगण की उक्त आराजी में से होकर जाने के लिए वांछित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण आवागमन हेतु वास्तविक स्थाई रास्ता चाहते है।

प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की जोत पर पंहुच मार्ग का अभाव होना पूर्णतया सावित है। राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक पं.2 (63) राज.9/20.14 जयपुर दिनांक 20–9–2014 एवं परिपत्र कमांक प.3(52) राज.6/2012/4 जयपुर दिनांक 14–1–2014 के अनुसरण में संबंधित खातेदार को अपनी आराजीयात /खेतों पर पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नवीन रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई भूमि पडती है तो खातेदार अपनी जोत तक नया मार्ग कायमी हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में प्रावधान किया गया है। खातेदार की जोत तक पहुंच के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2014 के नियम [illegible] के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जाने के प्रावधान किये गये है चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:25:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

की आराजी नम्बर 292 पर पहुंचने वाली प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि उक्त आराजी में जाने हेतु आराजी संख्या 291 रकबा 0.05 हैक्ट. जो कि किस्म गे.मु. आचा है में से होकर रास्ता चाहा गया है। जिसकी लम्बाई 20 मीटर चौड़ाई 4 मीटर कुल 80 वर्गमीटर है । जिसका तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा कमीशनरी रिपोर्ट में मार्ग प्रस्तावित किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251–ए निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है –

1– ग्राम मानपुरा पटवार हल्का महुड़ा की खसरा संख्या 292 भूमि पर पहुंच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पड़ोस की विपक्षीगण की आराजी नम्बर 291 रकबा 0.05 हैक्ट. जो कि किस्म गे.मु. आचा है में से होकर रास्ता चाहा गया है। जिसकी लम्बाई 20 मीटर चौड़ाई 4 मीटर कुल 80 वर्गमीटर है। भूमि का रास्ता निम्न प्रकार कमीशनरी रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिसे रास्ते हेतु अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित किया जावे ।

2– रास्ते हेतु अवाप्त की जाने वाली 80 वर्गमीटर भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार दर 166665/–रूपये प्रति बीघा से मूल्याकंन तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा अपने स्तर पर आंकलन कर बनने वाली भूमि कीमत की दुगुनी राशि प्रार्थीगण से वसूल कर हितबद्व खातेदारान् को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में नियमानुसार संदाय किये जाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा सकेगा। यदि वर्तमान में डी.एल.सी. दर में परिर्वतन हो गया है तो उसी अनुसार डी.एल.सी. दर वसूल की जावे।

3– रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थीगण का एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थीगण को रास्ते की भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगें।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बड़ीसादड़ी को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने प्रेषित की जावे । निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर दिनांक 04.09.2025 को सुनाया गया ।

(प्रवीण कुमार मीणा) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:25:12 IST
Reason: SelfAttested